

अंचल अधिकारी, छत्तरपुर (पलामू) का कार्यालय।

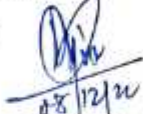
अभिलेख वाद सं०- 377/2016-1A

वाद का प्रकार:- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कारवाई से संबंधित।

तिथि	आदेश फलक	अभ्युक्ति
9.11.22	Covid-19 के तहत हुए लॉक डाउन के कारण अभिलेख उपस्थापित नहीं किया जा सका। प्रभारी प्रधान सहायक के द्वारा बतलाया गया कि अभिलेख संबंधित कर्मचारी के पास था। हस्तान्तरण के पश्चात इनके द्वारा अभिलेख कार्यालय में जमा नहीं किया गया। प्रभारी प्रधान सहायक को निदेश दिया जाता है कि अभिलेख संधारण की कार्रवाई पुनः शुरू करें। अभिलेख दिनांक <u>8.12.2022</u> को उपस्थापित करें।  अंचल अधिकारी, छत्तरपुर।	
8.12.2022	अभिलेख उपस्थापित। झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074/रा0 दिनांक 13.05.2016 सह-पठित -श्री अनुप मुखर्जी निदेशक, भू- अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्रांक सं०-3 खा०म०निति 119/85/2308/रा०, दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र सं०- 914/रा० दिनांक 09.12.1998 एवं विभागीय पत्रांक 1704/रा०. दिनांक 15/07/2020 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि (किस्म <u> </u>) की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गयी। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि, निम्नांकित विवरणी की भूमि:- मौजा <u>मझा- </u> थाना नं० <u>340</u> खाता सं० <u>29</u> प्लॉट सं० <u> </u> रकबा <u>0.100</u> एकड़ की भूमि जो गत सर्वे में गैरमजरूआ मालिक किस्म <u> </u>, अनाबाद बिहार/झारखण्ड सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-11 के जिल्द सं० <u>4</u> के पृष्ठ सं० <u>128</u> पर जमाबंदी रैयत <u>मुक्तेश्वर सिंह</u> के नाम से कायम है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त भूमि विवरणी के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा रामपित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना राक्षम प्राधिकार के आदेश के आधार पर /सादाहुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है। अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित	

मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक 24.12.2022 को उपस्थापित करें।


08/12/22
अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

अभिलेख उपस्थापित।

नोटिस का तामिला प्राप्त। मांगधारी रैयत/उनके वंशज निर्धारित तिथि को उपस्थित हुए। इनके द्वारा अपने पक्ष में लगान रसीद वर्ष 1955-56 एवं तीन मास प्रभारी रसीद लिखका वर्ष 1957-58

समर्पित किया गया है। इस संबंध में संबंधित राजस्व कर्मचारी को निदेश दिया जाता है कि प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को एक सप्ताह के अन्दर गहनतापूर्वक जाँच कर अंचल निरीक्षक के माध्यम से चेक लिस्ट एवं जाँच प्रतिवेदन समर्पित करें।

अभिलेख दिनांक 7.1.2023 को उपस्थापित करें।


24/12/22
अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

अभिलेख उपस्थापित

राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा मडवा मौजा नं० 340 खाता सं० 99 प्लॉट सं० — रकबा 0.90 किस्म — खतियान के अनुसार गैरमजरूआ मालिक खाते की भूमि है। मांगधारी रैयत को उक्त भूमि कैसे प्राप्त हुआ है इस संबंध में कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है। तत्कालिन राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश प्राप्त किए अवैध रूप से मांग कायम किया गया है तथा मांगधारी का उक्त भूमि पर दखल कब्जा अस्पष्ट है। लगान रसीद वर्ष 2016-17 तक निर्गत है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत पंजी-11 में कायम जमाबंदी सं० 128/4 को रद्द करने हेतु अनुशंसा के साथ अभिलेख मूल में भूमि सुधार उप समाहर्ता, छत्तरपुर के माध्यम से अपर समाहर्ता, पलामू को भेजें।
लेखापित एवं संशोधित।


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।


07/01/23
अंचल अधिकारी
छत्तरपुर।

संदिग्ध जमाबंदी से संबंधित अंचल स्तर पर मरा जाने वाल चेक-लिस्ट

1. जिला एवं अंचल का नाम - पल्लार अंचल हनुमपुर

2. अवैध जमाबंदीदार का नाम एवं भूमि का विवरण :-

जमाबंदीदार का नाम	मौजा	थाना नं.	खाता नं.	खेसरा नं.	रकबा	खतियानी प्रविष्टि	किस्म ज
मुकेशगन किया, गहलुवा किया	गहलुवा	340	99	-	2.66	गैरजिल्ला मीरक	-
श्री 0 फिलर किया			12, 13, 15	-	4.50	पैयलि	-

3. भूमि का वर्तमान स्वरूप :- मंगपंजी II में लॉट स. दर्ज नहीं है जिस कारण उस लॉट का स्थिति से फिलर पत्र बना संभव नहीं हो पा रहा है।

4. अवैध जमाबंदी पंजी-II में कब से संधारित है? :- 1976-77

5. उक्त जमाबंदी पंजी-II में दर्ज करने वाले कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम (पदाधिकारीयों के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार तथा कर्मचारी/कर्मि का नाम अंचल कार्यालय में संधारित सेवा इतिहास पंजी से पता कर उल्लेखित करें) :-

मंगपंजी-II के पदवर्ग के लिए पत्राचार
संलग्न के मंगल कार्य दर्ज करने वाले
पदा. स. ग. दर्ज नहीं है।

6. नामान्तरण/दाखिल - खारिज के उपरान्त संधारित जमाबंदी के मामलों में मूल जमाबंदी रैयत की विवरणी :- -NA-

7. अवैध जमाबंदी कायम किये जाने का आधार (क) अनिवंधित, सादा हुकुमनामा :-

मंगपंजी-II में मंगल अयम फिलर जाने
का कोई आधार स्पष्ट नहीं है।

(ख) लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष (वाद संख्या एवं पारित अदेशानुसार) :-

(ग) अवैध भू-बंदोबस्ती (वाद संख्या के साथ) भूदान सहित :-

8. सादा हुकुमनाम की स्थिति में तथा-कथित सादा पट्टा या हुकुमनामा में अंकित मूल्य (100/-रुपये से कम या इससे अधिक) :-

अवैध जमाबंदी की जाँच किया राजस्व अभिलेख से की गई है :-

(क) भूतपूर्व जमींदार द्वारा माखिल रिटर्न से :-

(ख) अंचल / अनुमंडल में संचालित बंदोबस्ती पंजी से :-

(ग) माखिल-खारिज / भू-हस्तांतरण / नामांतरण पंजी से :-

अंचल अर्थात् जिले

अवैध माखिल रिटर्न से

10. (क) अवैध जमाबंदी क्या दिनांक-01.01.1946 के पूर्व से कायम है :-

नहीं

(ख) क्या दिनांक-01.01.1946 के पूर्व भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमीनदारी रसीद साल-दर-साल निर्गत है? :-

नहीं

11. क्या दिनांक-01.01.1946 के बाद से 1955-58 तक जमीनदारी रसीद तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीदें लगातार निर्गत है? :-

नहीं

12 वर्ष 1954-55 में हुए फिल्ड-बुझारत पंजी में दखल-कब्जा अवैध जमाबंदीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित था? :-

नहीं

13. राजस्व उप-निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुरांसा सहित :-

प्रतिवेदन भूमि का मांग गीता मूल्या के खाता सं. 99, 92, 93, 95 लैंड रजिस्ट्री नंबर कुल रुबा 6.9248. निम्न के खाता सं. 99 का रुबा 2.668. सिल्वीर है, का मांग सुलेमान मिया, महसुब मिया मिया पिल्लू मिया के नाम से दर्ज है। मांग कायम होने का कोई आधार मांगपंजी व के ऊपर फा पर दर्ज नहीं है। इस जमाबंदी में खाता सं. 99 रुबा 2.668. भूमि गीता (मांग) माखिल रजिस्ट्री से की है शेष खाता 92, 93, 95 रजिस्ट्री खाते की रजिस्ट्री है। तब 99 रुबा 2.668. भूमि मांगपंजी से की जा रही है इस संबंध में मांगपंजी हाता कोई साक्ष्य, नोटिस के उपरांत प्रस्तुत नहीं किया गया। पंजी व में लैंड रजिस्ट्री नंबर होने के कारण भूमि का रजिस्ट्री दर्ज नहीं हो सका। इसी स्थिति में प्रतिवेदन देते हुए मांगपंजीदार गीता (मांग) लगे की रजिस्ट्री प्रारित का कर माध्य नहीं देने के कारण खाता 99 रुबा 2.668. भूमि के अवैध मांग देते हुए तथा शेष भूमि का मांग यथावत (है) हुए अंग्रेज आर्पाई इसे की भूमि मांगपंजी से की जा रही है।

14. अंचल निरीक्षक का स्थलीय जाँचोपरांत मंतव्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन :-

राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रतिवेदन जाँच प्रतिवेदन का जाँच किया, कोई पाया / नतः उपरोक्त गैरमजरूमा खाता की भूमि को खर्च कर शेष भूमि को नामा पंजी पर मांग किया जा सकता है।

महेश

महेश

अंचल अधिकारी, भूमि-सुधार उप समाहर्ता, उत्तरपुर।

अनुमंडल पदा., उत्तरपुर।

अपर समाहर्ता, पलामू।

उपायुक्त, पलामू।

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन।

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- तुल्लेमान गिया, महबुब गिया S/o फिल्ट गिया
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरणी जमाबंदी पंजी II के जिल्द संख्या 4.....पृष्ठ सं: 128 पर कायम है।

मौजा	धाना नं.	खाता सं.	खेसरा सं.	रकबा
गड़वा	340	99	-	2.46
		92,93,95	-	4.50

3. जमाबंदी किस वर्ष कायम है :- जमाबंदी वर्ष 1976-77 के कायम है।
4. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खानेदार का नाम :- लाला म० 99 जी/मण्डा काठिन
लाला म० 92,93,95 हैयति
5. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गयी है :- दर्ज नहीं है।
6. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामांतरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :-

NA

7. मूल जमाबंदी कायम किये जाने का आधार पंजी-14 के मांग सूचक लिपे जाने का आधार दर्ज नहीं है।
(अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भू-बंदाबस्ती) :-
8. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गयी
(भूतपूर्व जमीनदार दाखिल रिटर्न / बंदोबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू-हस्तांतरण पंजी)
:- अंचल इन्सपेक्टर के मौजूद चालु पंजी में है।

9. संदेहास्पद जमाबंदी में लगान रसीद संख्या एवं वर्ष :-

क्र. सं.	लगान रसीद सं.	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
01	476413	10/09/2009	2009-10
02	4794610	11/05/2010	2010-11
03	4777211	29/11/2011	2011-12
04	058259	08/08/2016	2016-17

कार्यालय, अंचल अधिकारी, उत्तरपुर (पलामू)।

बाद अभिलेख सं० 377/20¹⁶⁻¹⁷ (अन्तर्गत धारा 4(h). BLR Act, 1950)

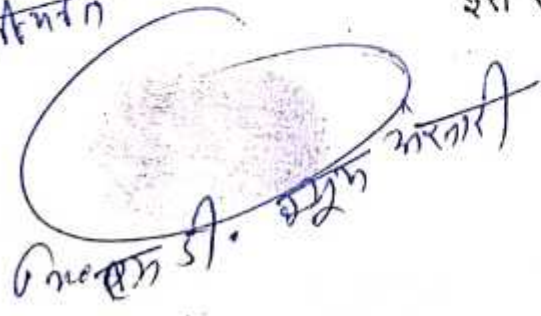
सूचना
बनाम सुलेमान मियां वगैरे
पिता-पांचु मियां

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा MSCA थाना नं० 340
खाता सं० 99 खेसरा नं० — रकबा 90 से संबंधित आपके नाम से
ह० नं० 511 के पंजी-II भाग 4 के पृष्ठ 128 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम
दृष्ट्या राजस्व उपनिरीक्षक ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध
प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक 24/12/22 को समय 11:00 बजे
पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न-1, भूमि बन्दोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व
जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल
प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ
अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको
कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर
पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशांसा
कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकिद जाने।

उपनिरीक्षक

2

